न्यायालयः— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, अररिया।

जमानत आवेदन पत्र संख्या—521 / 2026
शिकायत वाद संख्या—2261 / 19

शंभु साह ——————————आवेदक।
बनाम
बिहार राज्य

वास्ते आवेदक :— श्री रंजीत कुमार, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजन :— श्री रघुनाथ विश्वास, विद्वान अपर लोक अभियोजक।
वास्ते सूचिका :— श्री जग मोहन यादव ,विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

17.08.2026 काराधीन आवेदक शंभु साह, पिता—कमल साह साकिन—जोगबनी, हाई स्कुल चौक, वार्ड नं0 15, थाना—जोगबनी, जिला—अररिया, की ओर से शिकायत वाद संख्या—2261 / 19 अन्तर्गत धारा—498ए / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया, जिसकी एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी जा चुकी है। जमानत आवेदन पर उभय पक्षों एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

संक्षेप में श्किायत वाद यह है कि, अभियोगिनी की शादी 13 वर्ष पूर्व हिंदु रीति—रिवाज से शंभु साह के साथ हुई थी , जिसमें उसके माता—पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार पर्याप्त गहने, फर्नीचर और नकद रूपये दिया था। शादी के 6 साल तक सब ठीक रहा और दो बेटों का भी जन्म हुआ। बच्चों के जन्म के बाद से हीं अभियोगिनी के पति और ससुराल वालों ने उस पर अपने मायके से जमीन बेचकर 1 लाख रूपया दहेज के रूप में लाने का दबाव बनाने लगे और दहेज की मांग पुरा नहीं कर पाने के कारण असामीगण अभियोगिनी को शारिरिक एवं मानसिक प्रताड़ित करने लगे। 06 माह पूर्व अभियोगिनी के पति ने साजिश रचकर दुसरी शादी कर ली और 04 सितंबर 2019 को सभी अभियुक्तों ने मिलकर अभियोगिनी को घर से बाहर निकाल दिया।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक द्वारा अग्रिम जमानत याचिका संख्या 1972 / 21 और अपराधिक विविध संख्या 21883 / 22 के अलावा कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन पत्र श्रीमान् के न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियोगिनी का पति है और वैवाहिक विवाद के कारण अभियोगिनी ने यह झूठा केस किया है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे और मनगढ़ंत है। आवेदक के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है, आरोप पूरी तरह से झूठा है। आवेदक ने अभियोगिनी को कभी भी ससुराल से बाहर नहीं निकाला है। शिकायत वाद और अभियोगिनी के शपथ पर के बयान में काफी विरोधाभास है, जो शिकयत वाद की कहानी पर गहरा संदेह उत्पन्न करता है। आवेदक को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा 22.12.2022 को अग्रिम जमानत दी गई थी, लेकिन कोरोना बीमारी से संक्रमित होने के कारण वह समय पर जमानत बॉन्ड जमा नहीं कर सका और बाद में समय सीमा नहीं बढ़ाई जा सकी। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

लगातार

लगातार **जमानत आवेदन पत्र संख्या–521/2026**

17.08.2026 विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि, आवेदक अभियोगिनी के पति हैं, जिनपर शिकयत वाद पत्र के अनुसार अपनी पत्नी से दहेज की मांग करने एवं दहेज की मांग पुरा नहीं होने पर अपनी पत्नी को घर से निकालने का आरोप है। अभिलेख के अग्रतर अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक ने माननीय सत्र न्यायाधीश, अररिया द्वारा एबीपी संख्या 1972/21 को अस्वीकार किए जाने के बाद आपराधिक विविध याचिका संख्या 21883/22 के माध्यम से पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था। दिनांक 14.12.2022 के आदेश के द्वारा अपराधिक विविध याचिका को स्वीकार कर लिया गया और अग्रिम जमानत की सुविधा इस शर्त के साथ प्रदान किया गया था कि आवेदक को पांच हजार रूपया प्रतिमाह का भुगतान करना होगा लेकिन आवेदक ने इस शर्त का उल्लंघन किया। आज अभियोगिनी अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुई और कथन करती है कि उसका उभय पक्ष के साथ राजी खुशी समझौता हो गया है, पुनः कथन करती है कि आवेदक को जमानत का लाभ देने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं आवेदक के अभिरक्षा अवधि पर विचार करते हुए आवेदक को 10,000/–रू0 (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र दाखिल करने तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतुष्टि पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।

(लेखापित)

Sd/-
(संजीत कुमार सिंह)
I/C जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय,
अररिया।